

प्रेषक,

पत्रांक1.6.08.....

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

सेवा में,

प्रधानाध्यापक एवं श्रीमती पूजा कुमारी विद्यालय अध्यापिका,
उत्कर्मित उच्च माध्यमिक विद्यालय बसंता जहानाबाद,
प्रखंड लालगंज जिला वैशाली।

दिनांक 27.7.2026

विषय:- स्पष्टीकरण के संबंध में।

प्रसंग:- एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली पर दर्ज परिवाद पंजीकरण संख्या आर ई एफ 621073 दिनांक 22.07.2026।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में अंकित करना है कि एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से श्री रमेश कुमार द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई है। परिवाद में अंकित किया गया है कि श्रीमती पूजा कुमारी शिक्षिका उपस्थिति दर्ज कर विद्यालय से लगातार गायब रहती हैं तथा इसमें प्रधानाध्यापक की भी पूर्ण संलिप्तता है। शिकायत में यह भी अंकित है कि विद्यालय में पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से नहीं हो रहा है तथा अधिकांश शिक्षक पठन पाठन के समय मोबाइल का उपयोग करते हैं।

एक शिक्षक एवं संस्था प्रधान के रूप में इस प्रकार का आचरण अत्यंत खेदजनक तथा घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता का परिचायक है। आपका यह कृत्य पदीय दायित्वों के सर्वथा विपरीत एवं शिक्षा विभाग की छवि को धूमिल करने वाला है। अतः इस घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के आरोप में श्रीमती पूजा कुमारी विद्यालय अध्यापिका के वेतन भुगतान पर अगले आदेश तक रोक लगाई जाती है।

अतः आप दोनों को निर्देश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अंदर इस संबंध में अपना सुस्पष्ट स्पष्टीकरण साक्ष्यों सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे कि क्यों नहीं आप दोनों के विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाए। स्पष्टीकरण के साथ दिनांक 01 जनवरी 2026 से वर्तमान माह तक के शिक्षक उपस्थिति पंजी की छायाप्रति भी अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे। ससमय संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आप दोनों के विरुद्ध एकतरफा कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक यथोक्त।

ज्ञापांक1.6.08..... / हाजीपुर, दिनांक 27.7.2026

प्रतिलिपि: प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी लालगंज / श्री रमेश कुमार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27-7-25
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।
27/7/26

27-7-25
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।
27/7/26